भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2131
दिनांक 31 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

कर्नाटक में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0

2131. **श्री एम. मल्लेश बाबूः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्नाटक में कार्यान्वित की जा रही सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का ब्यौरा क्या है और इस योजना के उद्देश्य, घटक और लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान कोलार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित कर्नाटक में इस योजना के अंतर्गत जिला-वार कितनी धनराशि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है;
(ग) कर्नाटक में उक्त निर्वाचन क्षेत्र सहित उन्नयन/सुदृढ़ किए गए आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी), पूरक पोषण के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों और वृद्धि की निगरानी एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सेवाएं प्रदान किए गए बच्चों तथा गर्भवती एवं बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाओं की जिला-वार संख्या कितनी है; और
(घ) क्या सरकार का कोलार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नए आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने, स्मार्ट अवसंरचना, डिजिटल उन्नयन में निगरानी उपकरणों तथा बेहतर पोषण सेवाओं के साथ मौजूदा केंद्रों का आधुनिकीकरण करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): 15वें वित्त आयोग अवधि में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों (14–18 वर्ष) के लिए पोषण सहायता प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा [3–6 वर्ष]; आधुनिक एवं उन्नत सक्षम

आंगनवाड़ी, पोषण अभियान तथा किशोरियों के लिए योजना सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना घटकों को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत, कुपोषण में कमी लाने तथा सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और जागरुकता प्रसार जैसी क्रियाकलापों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य, तंन्दुरुस्ती और रोग प्रतिरक्षा के लिए एक नई कार्यनीति तैयार की गई है। इसमें आयुष पद्धतियों के माध्यम से मातृ पोषण, शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार संबंधी मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएमए) के उपचार तथा तंन्दुरुस्ती पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि दुबलापन, ठिगनेपन,एनिमिया और कम वजन की व्याप्तता को कम किया जा सके।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत कर्नाटक राज्य सहित पूरे देश में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को छह सेवाओं का एक पैकेज अर्थात पूरक पोषण (एसएनपी), विद्यालय-पूर्व गैर-औपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच तथा रेफरल सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। छह सेवाओं में से तीन सेवाएँ अर्थात टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएँ स्वास्थ्य से संबंधित हैं और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से दी जाती हैं। ये सेवाएँ देशभर में पात्र पंजीकृत लाभार्थियों अर्थात 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा राज्यों के सभी आकांक्षी जिलों और पूर्ववर्ती जिलों में 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों को आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

कर्नाटक राज्य को 'मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' के तहत जारी और उपयोग की गई निधि का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26
जारी की गई निधि	**उपयोग की गई निधि**	**जारी की गई निधि**	**उपयोग की गई निधि**	**जारी की गई निधि**	**उपयोग की गई निधि**	**जारी की गई निधि**	**उपयोग की गई निधि**	**जारी की गई निधि**
1003.70	984.62	765.87	885.65	912.96	729.26	886.85	875.36	863.64

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत, बेहतर पोषण प्रदायगी तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकारी भवनों में स्थित

दो लाख आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) को 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों को एलईडी स्क्रीन, जल शोधन प्रणाली, पोषण वाटिका, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई) सामग्री और बिल्डिंग एज लर्निंग ऐड(बाला) पेंटिंग जैसी आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। कर्नाटक राज्य में 17,732 आंगनवाड़ी केंद्रों को 'सक्षम आंगनवाड़ी' के रूप में उन्नत करने की मंज़ूरी दी गई है।

कर्नाटक राज्य सहित देश भर में लाभार्थियों, पूरक पोषण और अन्य मानदंडों से संबंधित जिला-वार जानकारी, पोषण ट्रैकर सार्वजनिक डैशबोर्ड के लिंक **https://www.poshantracker.in/statistics** पर उपलब्ध है।

पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) के तहत, पीवीटीजी (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) वाले इलाकों में 2,500 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण को मंज़ूरी दी गई है, जिनमें से कर्नाटक राज्य में 23आंगनवाड़ी केंद्र बनाने की मंज़ूरी दी गई है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' (डीएजीजेयूए) का मुख्य उद्देश्य जनजातीय बहुल गांवों में योजनाओं में तालमेल स्थापित करना, पहुंच बढ़ना और सभी सुविधाएं उपलब्ध करना है। डीएजीजेयूए के तहत, 875 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण की मंज़ूरी दी गई है; जिनमें से 164 कर्नाटक राज्य के लिए मंज़ूर किए गए हैं।

मंत्रालय ने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत निर्धारित संकेतकों के आधार पर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी), आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और लाभार्थियों की तत्समय (रियल टाईम) निगरानी और ट्रैकिंग के लिए 'पोषण ट्रैकर' डिजिटल एप्लिकेशन को एक महत्वपूर्ण निगरानी उपकरण के रूप में शुरू किया है। पोषण ट्रैकर ऐप सेमंत्रालय को विभिन्न मानकों पर योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और आवश्यक सुधार करने में सुगमता हुई है। इसने आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए लगभग तत्समय (रियल टाईम) डेटा संग्रह की सुविधा प्रदान की है, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों के खुलने, बच्चों की दैनिक उपस्थिति, ईसीसीई (प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा) गतिविधियां, बच्चों की वृद्धि निगरानी, पका हुए गर्म भोजन (एचसीएम) और टेक-होम राशन (टीएचआर) का प्रावधान, वृद्धि मापन इत्यादि के आकंड़े शामिल हैं।

मंत्रालय पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन में सभी लाभार्थियों के पंजीकरण, डेटा प्रविष्टि, ट्रैकिंग और निगरानी के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, महिला पर्यक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों के लिए स्मार्टफोन की खरीद हेतु सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करता है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शारीरिक विकास निगरानी उपकरणों (लंबाई मापने के लिए इन्फैंटोमीटर और स्टेडियोमीटर, लाभार्थियों का वजन मापने के लिए शिशु वजन मापक और माताओं तथा बच्चों का वजन मापक) के लिए निधियां भी जारी की जाती हैं।
